

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 269 / FP/UK/ROAD/34380/2018 देहरादून: दिनांक: 28 जुलाई, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25-सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0835 हे0 वनभूमि के सम्बन्ध में।

(Online File No-FP/UK/ROAD/34380/2018)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 25.06.2020

महोदय,


विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 25.06.2020 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	State Govt. may clarify, if any approval under FCA has already been obtained for the construction of jeep road already constructed (as mentioned in the justification).	Justification में वर्णित दार्मिगाड -कथियान के किमी0 10 में से 2.35 किमी0 तक आरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा जीप मार्ग निर्माण कार्य पूर्व ही किया जा चुका है। (प्रति संलग्न) जीप मार्ग को कथियान-डिरनाड मोटर मार्ग के परिवर्तित कर मोटर मार्ग निर्माण प्रस्तावित किया जा रहा है।
2	In para- 4(i) of part II, Eco class is mentioned as Eco Class- V but is likely to be eco Class- vi. State Govt may upload the corrected information in this regard.	In para-4(i) of Part-II, Eco class is mentioned as Eco class-VI is correct and same uploaded at designate place. NPV calculation is uploaded at Sr no 2 in additional information as Part-II.
3	In para 14 of Part II, CA stipulated is not commensurate to forest land diverted. State Govt may provide correct information at para 14 online 14 of online part II in district profile.	Correction has been done in Form A, part II.

संलग्न-यथोपरि।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,


28/7/20
(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी